रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 832] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2016/अग्रहायण 11, 1938

No. 832] NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 2, 2016/AGRAHAYANA 11, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1113(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1963 को जहां तक उनका संबंध गैलरी सहायक, कनिष्ठ प्राणिविज्ञान सहायक और प्राणिविज्ञान संग्राहक को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करन का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण में कनिष्ठ प्राणिविज्ञान सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, कनिष्ठ प्राणिविज्ञान सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर, आदि.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या गैरचयन पद	सीधे भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ प्राणिविज्ञान सहायक	44 (2016)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5.	गैरचयन	**27 वर्ष से अनधिक** (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **टिप्पण-1:-** आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का उपमण्डल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्ष्यद्वीप के	**आवश्यक :-** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय प्राणिविज्ञान सहित बैचलर की डिग्री। **वांछनीय :-** (क) किसी भी सरकारी संगठन से प्राणिविज्ञान नमूनों के संग्रह और प्रतिरक्षण में एक वर्ष का अनुभव। (ख) प्राणिविज्ञान तकनीकों का ज्ञान जैसे स्लाइड तैयार करना, माइक्रोटोम भागों को काटना और अन्य संबंधित प्राणिविज्ञान तकनीकें। (ग) किसी भी सरकारी संगठन या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संगठन के किसी प्राणिविज्ञान संग्रहशाला में प्राणिविज्ञान प्रदर्शनियों की व्यवस्था और रख-रखाव का एक वर्ष का अनुभव. **टिप्पण-1:-** अन्यथा सुयोग्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार के विवेक पर, अहर्ताओं को शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण-2:-** अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी

					उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई अंतिम तारीख।) **टिप्पण-2:-** इन नियमों के उद्देश्यार्थ सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा का अर्थ कर्मचारी चयन आयोग या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती होना और जिसमें सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा या लघुसूचियन द्वारा या साक्षात्कार द्वारा या संविदा द्वारा या आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती शामिल नहीं होगी।	चयन आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार के विवेक पर अनुभव के संबंध में अहर्ता को शिथिल किया जा सकता है, यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग या केन्द्रीय सरकार की ये राय बनती हो कि उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की इनके लिए आरक्षित रिक्तियाँ को भरने हेतु पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे वेतन मेट्रिक्स में स्तर जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु:- नहीं शैक्षिक अहर्ताएँ:- नहीं परन्तु एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक विषय के रूप में विज्ञान सहित उसके	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(क) प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत; (ख) वेतन मैट्रिक्स के संबंधित स्तरों में पाँच वर्ष सेवा सहित सीधी भर्ती अर्हता रखनेवाले प्रयोगशाला सहायक और फिल्ड कलेक्टर से संबंधित विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 25 प्रतिशत	**प्रोन्नति:** (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में ऐसे प्रयोगशाला सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। (ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में ऐसे फिल्ड कलेक्टर जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पणी 1**:- पात्रता सेवा इन नियमों के लागू होने की तारीख से नियमित आधार	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (क) निदेशक, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – अध्यक्ष; (ख) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य; (ग) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य;	लागू नहीं होता

पास कम से कम मैट्रिकुलेशन (10 वीं.) पास अहर्ता होना चाहिए।		प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; (ग) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 25 प्रतिशत सीधी भर्ती।	पर फीडर पदों पर व्यक्तियों के लिए एक ही रहेगा। **टिप्पणी 2**:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (क) निदेशक, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – अध्यक्ष; (ख) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य; (ग) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य.	

[फा. सं. 02/13/2012-सीएसजेड]

आर. दलवानी, वैज्ञानिक जी/सलाहकार (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2016

G.S.R. 1113(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Class-III posts) Recruitment Rules, 1963 in so far as they relate to the posts of Gallery Assistant, Junior Zoological Assistant and Zoological Collector, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Zoological Assistant in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Junior Zoological Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Zoological Assistant.	44 (2016)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level in pay matrix -5.	Non-selection.	Not exceeding 27 years (relaxable for Government servants in accordance with the instruction or order issued by the Central Government) **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshwadweep. **Note 2:** Direct Open Competitive Examination for the purpose of these rules shall mean direct recruitment by Open Competitive Examination conducted by the Staff Selection Commission or any other authority under the Central Government and it shall not include recruitment through Limited Departmental Examination or through short listing or interview or contract or absorption or deputation.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: - Bachelors' degree in Science from a recognised University with Zoology as one of the subjects. **Desirable: -** (i) Experience of one year in collection and preservation of Zoological specimens from any Government organisation. (ii) Knowledge of Zoological techniques, such as preparation of slides, cutting microtome sections and other related Zoological techniques. (iii) Experience of one year in handling and arrangement of Zoological exhibits in any zoological museum of any Government organisation or of any organisation recognised by the Government. **Note 1:-** Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Central Government in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Selection Commission or the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Selection Commission or the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates form these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age:-No Educational Qualification:- No, but must possess at least matriculation (10^{th} Standard Pass) with science as one of the subjects from a recognised Board.	Two years for direct recruits.	(i) Fifty per cent. by promotion; (ii) twenty-five per cent. by promotion on the basis of Departmental Competitive Examination limited to Departmental candidates belonging to Laboratory Assistant and Field Collector having direct recruitment qualification with five years' regular service in the respective levels in the pay matrix thereto, failing which by direct recruitment; (iii) twenty five per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption levels in pay matrix from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Laboratory Assistant with five years' regular service in level 3 of the level in the pay matrix. (ii) Field Collector with five years' regular service in level 3 of the level in the pay matrix.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : (i) Director, Zoological Survey of India Kolkata — Chairman; (ii) Head of Office, Botanical Survey of India Kolkata —Member;	Not applicable.

Note 1: The eligibility service shall continue to be same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of commencement of these rules. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualification or eligibility service.	(iii) Head of Office, Zoological Survey of India Kolkata —Member. Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : (i) Director, Zoological Survey of India Kolkata —Chairman; (ii) Head of Office, Botanical Survey of India Kolkata —Member; (iii) Head of Office, Zoological Survey of India Kolkata —Member.	

[F. No. 02/13/2012-CSZ]

Dr. R. DALWANI, Scientist G/Advisor (Conservation and Survey)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.06 18:57:41 +05'30'